(181) (74)

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा) म0प्र0</u>

Rs. 40/-

सुरेश कुमार गुप्ता तनय श्री रामदास गुप्ता आयु 55 वर्ष निवासी बठिया कला, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0.........................निगराकार

<u>वनाम</u>

2594-II/14

1. रामकरण सिंह तनय ठाकुर प्रसाद सिंह आयु 70 वर्ष निवासी बठिया कला, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

2. शासन म0प्र0 ....गैरनिगराकारगण

आज दिनांक 07-07-14 को ... किया गया।

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील रघुराजनगर (वृत्त सतना द्वितीय) जिला सतना म0प्र0 रा0प्र0 क्र0 10अ12/11-12 आदेश <u>दिनांक 15.05.12</u>

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0</u>

मान्यवर,

निगराकार निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत करता है-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि गैरनिगराकार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला सतना में0प्र0 को सीमांकन हेतु निर्देशित किया गया। सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख महोदय ने सरहद्दी वाले व्यक्तियों को कोई सूचना नही दी गई। मौके में कोई सीमांकन नही किया गया तथा गैरनिगराकार के पक्ष में प्रतिवेदन तैयार कर पंचनामा में गैरनिगराकार व उसके लड़के,बहू एवं उसके रिस्तेदारों तथा गैरनिगराकार के पक्ष के कुछ लोगो के हस्ताक्षर कराकर प्रतिवेदन पेश कर दिया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सीमांकन को अपने आदेश दिनांक 15.05.12 द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.05.12 के विरूद्ध यह निगरानी मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

<u>निगरानी के आधार</u>

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.05.12 विधि

सुरेश कुमार गुप्ता

(74)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.2594– II / 2014 जिला–सतना

सुरेश कुमार गुप्ता / रामकरण सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 10 / अ–12 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	